संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (घ) झीलों और अन्य पर्यटक आकर्षणों का विकास तथा रख-रखाव करना, मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को, पर्यटन आधारिक परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करता है।

पर्यटन विभाग के पास झीलों की सफाई के लिए वित्तीय सहायात मुहैया कराने हेतु कोई योजना नहीं है। तथापि, पर्यटन विभाग ने उदयपुर में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए राजस्थान को धन मुहैया किया है:—

1. फतेहपुर झील के लिए नावें
2. पिचोला झील के लिए जल-क्रीडा उपकरण
3. सज्जनगढ़ प्लेस उदयपुर की प्रकाशपुंज-व्यवस्था
4. उदयपुर में शिल्पग्राम शिल्प मेला
5. शिल्पग्राम शिल्प मेला, उदयपुर
6. उदयपुर में शिल्पग्राम शिल्प मेला
7. मोतीमाग्री, उदयपुर में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन
8. उदयपुर मे पर्यटक बंगला।

Trials outside usual court premises

2622. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) in how many occasions were trials of offenders not held within the usual court premises, which has taken cognizance of offence under the Indian Penal Code; and

(b) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विशेषज्ञों के दल द्वारा टूथपेस्टों की गुणवत्ता का परीक्षण करने हेतु कानून बनाये जाने की आवश्यकता

2623. **श्री राघवजी**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस समय सम्पूर्ण देश में बेचे जा रहे टूथपेस्ट दांतों के लिए अच्छे नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राहकों द्वारा अनावश्यक रूप से खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपये की बर्बादी को रोकने हेतु कोई कदम उठाए जायेंगे;

(ग) कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस तरह का कोई कानून बनाने का विचार रखती है जिसके अन्तर्गत टूथपेस्ट के प्रत्येक ब्रांड को परीक्षण के लिए दंत विशेषज्ञों के दल को दिया जाये और उनकी स्वीकृति के बाद ही इन्हें विपणन के लिए अनुमति दी जाए; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) टूथपेस्ट के इस्तेमाल के पक्ष में अथवा विरुद्ध कोई पुष्ट वैज्ञानिक यथा चिकित्सीय प्रमाण नहीं है जबकि औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 149 (क) में यह अपेक्षित है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 1000 पी पी एम से अधिक नहीं होगी और फ्लोराइड पी पी एम की मात्रा तथा उसके इस्तेमाल की अवधि की समाप्ति की तारीख ट्यूब और कार्टन पर अंकित होनी चाहिए। भारत में विभिन्न ब्रांडों के फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट की जांच और विश्लेषण करने से पता चला है कि इन उत्पादों के विनिर्माता लेबल पर अंकित विनिर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं। ऐसी जांचें एक सतत कार्यकलाप है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1948 की धारा 22 (ख) और धारा 26 में आवश्यक वैधानिक व्यवस्था पहले ही मौजूद है।

पर्यटन क्षेत्र में निवेश

2624. **श्री गोविन्दराम मिरी**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के अनुमान के अनुसार इस समय देश के पर्यटन क्षेत्र में 39100 करोड़ रुपये का निवेश किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिये मुख्य माध्यम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निवेश की इस राशि के लिए कोई चरणबद्ध योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?